



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-27082026-275785
CG-RJ-E-27082026-275785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4529]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4529]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4714(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उपखंडों के स्तम्भ (4) में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य में “नागदा – मथुरा तीसरी एवं चौथी रेल लाइन परियोजना” में पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में विशेष रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगर मजिस्ट्रेट/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, मथुरा	मथुरा	मथुरा

2	नगर मजिस्ट्रेट/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, मथुरा	महावन	मथुरा
---	--	-------	-------

[कम्प्यूटर न. 377887 फा.सं.ई.-पमरे-केटीटीसी0इंजसी(एमआईसीएस)/11/2026-ओ/ओ उप.मुख्य इंजी/सी-II/कोटा]

पंकज सोईन, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 24th August, 2026

S.O. 4714(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Projects of “**Nagda – Mathura 3rd & 4th Line Project**” of Kota Division of West Central Railway in the State of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh relating to Sub- Divisions mentioned in Column (3), Districts mentioned in Column (4) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of land acquisition in such Special Railway Project.

TABLE

S.No	Competent Authority	Subdivision	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Special Land Acquisition Officer, Joint organization, Mathura	Mathura	Mathura
2	Special Land Acquisition Officer, Joint organization, Mathura	Mahavan	Mathura

[Computer No. 377887 F. No. E- WCR-KTTC0ENGC(MICS)/11/2026- O/o DY.CE/C-II/KOTA]

PANKAJ SOIN, Chief Project Manager